10.10.90

प्रस्ताव	निर्णय
	सिटी-बोर्ड (नगर-परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 10-10-90 दिन बुधवार अपराह्न 5.00 बजे, श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1.	श्री सीतारामयादव	अध्यक्ष
2	श्रीमती शान्ती देवी	नामित सदस्य
3	श्री हाजी मोहम्मद सलीम	सदस्य
4.	श्री शिवकुमार गुप्त	"
5.	श्री बाबूलाल गुप्त	"
6	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	ज्येष्ठ उपाध्यक्ष.
7	श्री सोमनाथ आर्य	सदस्य
8.	श्री डा० सुशील श्रीवास्तव	"
9	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	"
10	श्री मिठाईलाल	"
11	श्री रामअधार यादव	"
12	श्री विद्याभूषण सोनकर	"
13	श्री सै० मेंहदी हसन	"
14	श्री मुख्तार अहमद	"
15	श्री गणेशनाथ रावत	"
16	श्री डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव	"
17	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव	"
18	श्री अनवर रजा उर्फ "मुन्नाजी"	"
19	श्री नजीर हुसैन	"
20	श्री रमजान खाँ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष

(हस्ताक्षर) — अधिशासी अधिकारी, सिटी-बोर्ड जौनपुर 10-10-90

सीताराम यादव — अध्यक्ष सिटी-बोर्ड जौनपुर 10-10-90

प्रस्ताव	निर्णय
1 पिछली बैठक दिनांक 17.7.90 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने के पूर्व श्री सोमनाथ आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि उन्होंने कई मान्य सभासदों के हस्ताक्षर से कुछ प्रश्नावली दिया था, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया गया, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर आपके (उनके) घर भेज दिया गया है, जिसे मान्य सभासद ने प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर को देखना चाहा, और अध्यक्ष की अनुमति से प्रविष्टि प्रेषण लिपिक ने सम्बन्धित डाकबही दिखलाया जिस पर प्राप्त कर्ता का हस्ताक्षर था, तत्पश्चात श्री आर्य ने कहा कि जो उत्तर भेजा गया है, उसकी कार्यालय प्रति होगी, क्या उसे सदन में पढ़कर सुनाया जा सकता है, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हाँ सुनाया जायेगा, लेकिन आगे की कार्यवाही हो जाने के बाद।
	चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री अनस जी, मान्य सभासद ने कहा कि इसके पूर्व कुछ सभासदों द्वारा पालिका कार्यालय पर अनशन किया गया था, उसमें कुछ मांगे मानी गयी थी और कुछ के बारे में अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि उसे अगली बैठक में अवगत करा दिया जायेगा,

10.10.1

प्रस्ताव	निर्णय
	क्या उसे अवगत कराया जायेगा। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा समाप्त होने के बाद अवगत करा दिया जायेगा।
	चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री राम अधार यादव, मान्य सभासद ने कहा कि उन्होंने पूर्व में तीन पत्रों द्वारा कतिपय प्रश्न पूछे थे, जिसे कार्यालय में प्रविष्टि प्रबन्ध लिपिक को प्राप्त करा दिया गया था, लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया, इस पर अध्यक्ष द्वारा उत्तर दे दिये जाने का आश्वासन दिया गया इस पर श्री राम अधार यादव, मान्य सभासद अड़ रहे और कहा कि उनके द्वारा दिये गये पत्र में जो प्रश्न पूछे गये हैं, उसे सदन में पढ़ा जाय, उन्होंने ने अपनी प्रति परिषद लिपिक को देकर सदन में पढ़वाया जिसे उपस्थित सदस्यों ने सुना और कहा कि इसका उत्तर अतिशीघ्र मिलना चाहिये।
	उपरोक्त प्रश्नावली के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व अध्यक्ष महोदय ने माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी, राष्ट्रीय नेता, के निधन हो जाने के कारण

14.12.30 103

प्रस्ताव

निर्णय:-

उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करने हेतु प्रस्ताव रखना, जिसे डा० कृष्ण कुमार मान्य सभासद सहित सदन में उपस्थित सभी सभासदों द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर शोक प्रकट हुये दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित की गयी।

श्री राम अधार यादव मान्य सभासद द्वारा पूछे गये प्रश्नों के संदर्भ में डा० श्री कृष्णकुमार, मान्य सभासद ने कहा कि दुर्गेतावाद-वार्ड के बड़े लम्बे नाले की सफाई हेतु लगाये गये 10 बेलदार किसकी स्वीकृति से लगाये गये थे, क्या उसे बोर्ड में रखकर स्वीकृति लिया गया है जैसा कि अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये स्वीकृति ली जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाय कि वर्तमान समय में नालागैंग के जो स्थायी कर्मचारी हैं, वे क्या और कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं क्या उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता था? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री कामेश्वरनाथ मिश्र, सफाई निरीक्षक, ने बताया कि वर्तमान समय में नालागैंग में कुल 10 बेलदार हैं जिसमें से दो सर्किल में तीन तीन बेलदार तथा एक सर्किल में चार बेलदार हैं।

प्रस्ताव	निर्णय
	श्री मिश्र सफाई निरीक्षक पुनः मान्य सभासद श्री श्री कुमार ने पूछा कि जो अतिरिक्त बेलदार लगाये गये है, उन पर अब तक क्या व्यय हुआ है तथा उनके द्वारा अब तक कितने लम्बे नाले की सफाई कराई गयी है और कितना काम हुआ, इस पर श्री मिश्र, सफाई निरीक्षक ने बताया कि लगभग 20-25 मीटर लम्बे नाले की सफाई कराई गयी तथा बीच बीच में अन्य मान्य सभासदों के अनुरोध पर उन्हीं नाला गैंग बेलदार को उनके वार्ड में किन्हीं किन्हीं दिनों कार्य कराया गया और अब तक इन पर रु 3500.00 व्यय का भुगतान हुआ है, इसके पश्चात उक्त तथाकथित नाले को अगली बैठक तक पूरा साफ कराने का आश्वासन अध्यक्ष को दिया गया।
	चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री अनवरजा (?), मान्य सभासद ने कहा कि जो अतिरिक्त 10 आदमी लगाये गये थे तो क्या इनकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड में लाया गया था, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आपात स्थिति होने पर ही 2-4 आदमी लगाकर 2-4 दिनों के लिये कार्य लिया जा सकता है

प्रस्ताव

निर्णय:

वर्तमान एजेन्डा में इन दैनिक वेतन भोगी कालातीत कर्मचारियों का कोई प्रस्ताव नहीं रक्खा गया है, जिसे भविष्य की बैठक में रख लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने कहा कि इसके पूर्व निर्माण विभाग में एक बैठक हुयी थी, उसमें एजेन्डा पास किया गया था लेकिन वह प्रस्ताव इस कार्यवाही में नहीं लाया गया है अध्यक्ष ने कहा कि इसके सम्बन्ध में राय ली गयी तथा पिछले प्रक्रियानुसार अध्यक्ष स्वयं आवंटन करते रहे हैं और वही ट्रेडीशन रहा है। इस पर भइय्या जी मान्य सदस्य ने कहा कि बोर्ड को चलाने के लिए ट्रेडीशन की ~~आवश्यकता~~ आवश्यकता नहीं है, यहाँ उसके नियम भी हैं और उन नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। दुकानों का आवंटन नीतिगत होनी चाहिये। विध्यपत जी ने कहा कि जब बोर्ड अपने पैसे से दुकानें बनवाती है तो उसे आवंटन किया जाता है और यदि दुकानदारों से प्रीमियम लेकर बनवाने की बात है तो उसे पूर्व में ही निर्धारित प्रीमियम लेकर ~~[illegible]~~ आवंटित करके उनसे धनराशि अग्रिम वसूल करके दुकानें बनवाकर उन्हें दे दी जायेगी, इस

Scanned with OKEN Scanner

10-10-90

प्रस्ताव

निर्णय

पर श्री रमजान खां, कनिष्ठ अभि... ने कहा कि बोर्ड ही इन दुकानों को बनवाये तथा एलाट की जायें, इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपने पैसे से बोर्ड दुकान बनवाने में सक्षम नहीं है।

श्री अनवरजी मान्य सभासद ने यह कहते हुये खेद प्रकट किया कि वर्तमान एजेन्डा में किसी भी सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया है और श्री अनवरजी मान्य सभासद बोर्ड की कार्य-प्रणाली को अस्वीकार करते हुये बैठक का बहिष्कार करते हुये, कहते हुये सदन से उठकर बाहर चले गये और उनके समर्थन में सर्वश्री श्रीमती आर्य, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष - मान्य सभासद भी सदन से बाहर चले गये तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुयी।

अध्यक्ष की अनुमति से एजेन्डा पर कार्यवाही शुरु की गयी जिस पर परिषद लिपिक श्री महेश नारायण द्वारा एजेन्डा क्रमांक (1) पिछली कार्यवाही वास्ते पुष्टि पढ़ी गयी, जिस पर उपस्थित सभी

Scanned with OKEN Scanner

10-10-90

प्रस्ताव

निर्णय :

माननीय सभासद मौन रहे और सर्वसम्मति एजेन्डा क्रमांक 1 स्वीकार किया गया।

बोर्ड की कार्यप्रणाली के प्रति खेद प्रकट करने वाले, सदन से बाहर गये, तीनो माननीय सभासद, श्री शोभनाथ आर्य, श्री अतहरजा तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, वापस आकर पुनः सदन में बैठ गये और बोले कि उन्होने बैठक का ~~बहिष्कार~~ बहिष्कार नही किया था, बल्कि बोर्ड की वर्तमान कार्य प्रणाली की निंदा करते हुये उसका बहिष्कार किया था। और श्री अतहरजा माननीय सभासद ने कहा कि पिछली कार्यवाही की पुष्टि हेतु कार्यवाही पढ़ी नही गयी और कैसे सर्व-सम्मति से स्वीकार कर ली गयी, हम इसका विरोध करते हैं। इस पर श्री शोभनाथ आर्य एवं श्री रामअधार यादव, माननीय सभासद ने भी विरोध प्रकट किया और कहा कि पिछली कार्यवाही सदन में पढ़ी जाय इस पर कई माननीय सभासद ने कहा कि नही, पढ़ने की आवश्यकता नही है और हमलोग उसकी पुष्टि करते हैं, ~~तथापि~~ तथापि दो एक सभासदों के अड़े रहने पर पिछली कार्यवाही पढ़ने की सहमति पायी गयी। और अध्यक्ष की अनुमति से परिषद लिपिक श्री महेशनारायण।

10-11-90

प्रस्ताव	निर्णय
	द्वारा किसी कार्यवाही की नहीं गयी और इसी प्रकार उस पर सहमति व्यक्त और पुष्टि की गयी।
2. तिरिंदी नगर पंचायत के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह जुलाई 90 का मासिक आय व्यय लेखा विवरण पंचायत परिषद के अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	विस्तृत विवरण अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार द्वारा पढ़ा गया। बीच में ही श्री मनाथ आर्य ने कहा कि आडिट रिपोर्ट में क्या हुआ है, आडिटर द्वारा जो आपत्ति लगायी जाती है क्या उसका निराकरण किया जाता है? उसे दिखाया जाय, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आडिट रिपोर्ट कार्यालय में है, उसे देख सकते हैं, अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय को सम्बोधित करते हुये आदेश दिया कि श्री आर्य जी को आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करा दें। श्री अनसरजा, मान्य सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी के आदेश से एक सूचना मिली थी कि "आप जो भी देखना चाहें, उसे कार्यालय में देख लें" तो वे निर्माण विभाग में गये, वहाँ लिपिक द्वारा यह कहा गया कि फाइल निकाल दी जायेगी इस समय काफी व्यस्त हूँ लेकिन आज तक

प्रस्ताव:

निर्णय:

इन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं दिखाई गयी पुनः चर्चा को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कहा कि गाड़ी मरम्मत डीजल, पेट्रोल के बारे में लेखाकार से विवरण मांगा तो उन्होंने कहा कि श्री महेशनारायण परिवहन लिपिक से पता कर लीजिये। श्री महेशनारायण परिवहन लिपिक ने कहा कि सभी वाहनों के मरम्मत सम्बन्धी सारी कार्यवाहियाँ भुगतान के ही समय लेखाकार के पास भेज दी जाती है और उन्हीं के पास गार्ड फाइल में रक्षित हो जाती है लेखाकार ने सदन में स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कहा था कि कौन कौन से वाहन इसके पहले कब कब मरम्मत कराये गये थे, वह श्री महेशनारायण परिवहन लिपिक के पास होगा, उनके पास नहीं है, इस पर परिवहन लिपिक ने बताया कि उनके पास एक रजिस्टर है, उसमें जो भी प्रविष्टि है, उसे दिखाया जा सकता है, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जो भी विवरण उपलब्ध हो, दिखा दिया जाय। तत्पश्चात श्री गणेशनाथ रावत मान्य सभासद ने कहा कि गाड़ी मरम्मत का कार्य श्री महेश बाबू स्वास्थ्य विभाग में न होते हुए देख रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए श्री हाजी मो० सलीम, मान्य सभासद ने कहा कि इसे

16-10-10

प्रस्ताव :	निर्णय :
	स्थापना कार्यवाही की बैठक में बताया जाय, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, निर्णय लिया जायेगा जो (जैसी) भी स्थिति होगी, वैसा किया जायेगा। चर्चा के ही दौरान श्री मनोज आर्य ने कहा कि टेलीफोन बिलों का भुगतान किस मद से किया जाता है। लेखाकार ने स्पष्ट किया कि व्यय विवरण के जो भी बिल अंकित है, उनसे सम्बन्धित व्यय उन्हीं मद में लिये जाते है, उस मद के अतिरिक्त जो भी भुगतान होते है उन्हें मिसलेनियस मद में लिखा जाता है। श्री आर्य ने पूछा कि टेलीफोन का लोकल तथा बाहर का मिलाकर कुल कितने का बिल आया है और उनका भुगतान किया गया है दोनों का अलग अलग विवरण दिया जाय, इस पर अध्यक्ष ने बताया कि पहले बिलों का भुगतान कर दिया जाता है अन्यथा कनेक्शन कट जाने का अन्देशा रहता है और बाद में गलत आये हुए बिलों के प्रति आपत्ति व्यक्त करते हुए उसमें संशोधन हेतु पत्र लिखा जाता है और

10-10 10 107

प्रस्ताव

निर्णय:
ऐसा ही किया गया है, पूर्व के भुगतान किये गये टेलीफोन के बिलों के प्रति मिर्जापुर टेलीफोन विभाग को पत्र लिखा गया है।

चर्चा में ही मान्य सभासद श्री अनुसुइया उर्फ भइया जी ने कहा कि नगर में तीन स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हुये हैं, उस पर क्या कार्यवाई की गयी इस पर अध्यक्ष ने कहा कि अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (F.I.R) दर्ज करायी गयी हैं, और अग्रिम कार्यवाही जो भी हो सकती है, उसे किया जा रहा है चर्चा को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने कहा कि जल समस्यायें विकट होती जा रही है, जहाँ जहाँ पीने के पानी उपलब्ध होते थे, वहाँ अब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से जलकल अभियन्ता ने सदन में बताया कि बादकरपुर में लगा नलकूप तथा रावार पम्प खराब चल रहे हैं एवं लाइनवाजार का नलकूप वाल्व बन्द हो रहा है इन नलकूपों में से कुछ का लोकल (स्थानीय) मरम्मत होना है और कुछ का बाहरी से काम होना है, इस समय 12 पम्प (नलकूप) हैं इस पर भइया जी मान्य सभासद ने कहा कि

प्रस्ताव	निर्णय
	जो पम्प मरम्मत हुए है या होंगे उनकी फाइलें देखने को मिल सकेंगी. इस पर अध्यक्ष ने आदेश दिया कि जो भी कोई भी सदस्य जी (~~श्री~~ श्री अनसारी) मस... समाद देखना चाहें, उन्हें दिखा दी जाय। पुनः श्री अनसारी जी सदस्या जी ने कहा कि जो 6 हैन्ड पम्प लगे हैं उनकी क्या स्थिति है, श्री केदारनाथ सहायक अवर अभियन्ता (जल) ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बताया कि जलनिगम के अधिशासी अभियन्ता से वे मिले थे और उनसे उक्त हैन्ड पम्पों के बारे में सारी स्थिति अवगत करा चुके हैं, सदस्या जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में जो ~~पम्प~~ हैन्ड पम्प है, उसे चलाने पर उसमें कीचड़ आता है और उसके बाद पानी आता है पुनः कहा कि 10 हैण्ड पम्प आये थे उसमें से कितने लगे हैं, अवर अभियन्ता (जल) ने बताया कि तीन हैन्ड पम्प जिलाधिकारी ने अपने संरक्षण में लगवाने के लिये ले लिया था.

प्रस्ताव

निर्णय:-

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि जहाँ हैण्ड पम्प का फाउन्डेशन नहीं है उसे बनवा दिया जाय साथ ही पानी निकास हेतु पक्की नाली बनवा दी जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी और अध्यक्ष महोदय द्वारा जल/अभियन्ता को मौके का निरीक्षण करके कार्य कराने का निर्देश दिया गया।

श्री रमजान खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ने पूछा कि पेयजल की आपूर्ति कब प्रारंभ की जाती है और कब बन्द कर दी जाती है, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री केदारनाथ यादव, अवर अभियन्ता (जल) ने बताया कि प्रातः 5.00 बजे से 9.00 बजे दिन तथा सांयकालीन पेयजलापूर्ति 5.00 बजे से 9.00 रात्रि तक की जाती है।

श्री श्रीनाथ आर्य मान्य सभासद ने पूछा कि क्या रोड रोलर किराये पर दिया जाता है? यदि हाँ तो उस पर किराये से कितना धन प्राप्त हुआ? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री उदयशंकर पाण्डेय, अवर अभियन्ता ने सदन में बताया कि सिर्फ एक बार मड़ियाहूं में किराये पर

प्रस्ताव	निर्णय:-
	दिया गया था, वहाँ पर [illegible] किया गया था, जिसे किसी [illegible] बतलाया गया, वैसे आदि[illegible] पर रोडरोलर पालिका रोड [illegible] के लिये ही कार्य में लाया जाता है। पुनः श्री आर० (मान) सिंह[illegible] ने कहा कि लिखित [illegible] पर उन्हें आपत्ति है, उसका निवारण अलग अलग दिया जा[ए]। अध्यक्ष महो० द्वारा अलग अलग निवारण दिये जाने का आश्वासन दिया गया।
3. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह अगस्त90 का मासिक आय व्यय लेखा विवरण पश्चात् परिषद अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
4. आख्या बाबत बोर्ड की कार्यवाइयों को साइक्लोस्टाइल कराने की कार्यवाही हेतु एक अदद "112 मैनुअल डुप्लीकेटर एफ.केप साइज का सी०टी०डी० इन्टरप्राइज, 40A, [illegible], वाराणसी से रु 6,870=75 पैसे में क्रय करने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में इस आशय के साथ कि वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इस हेतु कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं था,	स्वीकार।

10-10-90

	निर्णय
प्रस्ताव को उक्त आय व्ययक में प्राविधान करने तथा उक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	
5. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखने गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 1.9.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या मुख्य अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.9.90 से 31.10.90 तक (दो माह) के लिए स्वीकार।
6. पालिका सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर 9 सफाई बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन रु 15/- प्रति दिन पर रखने की स्वीकृति 1-9-90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या व अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के अनुसार परिषद अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.9.90 से 31.10.90 तक (दो माह) के लिये स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव	निर्णय
7 पालिका जलकल निर्माण मद पम्पों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रूपया 20/- पर पम्प अटेन्डेन्ट का कार्यकाल 1.9.90 से 30.11.90 तक बढ़ाये जाने की जलकल निर्माण आज्ञा मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.9.90 से 31.10.90 तक (दो माह) के लिये स्वीकार।
8. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रखरखाव हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु 15/- प्रति दिन पर रखे गये 6-बेलदारों का कार्यकाल 1.9.90 से 30.11.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जलकल निर्माण आज्ञा मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	दिनांक 1.9.90 से 31.10.90 तक (दो माह) के लिये स्वीकार।
9. नगर विकास अनुभाग-2 शासनादेश संख्या 2251/9-1-90-73 आ/87 दिनांक 18-5-90 जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत धन जमा करने के लिये जिलाधिकारी	पढ़ा गया।

प्रस्ताव	निर्णय
जौनपुर द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के सम्बन्ध में है, परिषद् अवगतार्थ।	
10 नगर विकास अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन का रेडियोग्राम सं० 3584/11-8-90 दिनांक 23-8-90 जो चुंगी समाप्ति के पश्चात चुंगी नाकाओं पर अनाधिकृत तौर पर कोई वसूली न करने पाये एवं इसके लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाय, परिषद् अवगतार्थ।	पढ़ा गया।
11. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 शासनादेश सं० वे०आ०-1-1549/10-48(एम)-88 दिनांक 16-6-90 जो पालिका कर्मचारियों को 1.1.90 से व महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में है, परिषद् के अवगतार्थ।	पढ़ा गया।
12 आवेदनपत्र श्री रमेन्द्र [illegible] पाठक पुत्र स्व० केशव प्रसाद पाठक एवं श्री कमला प्रसाद पाठक पुत्र स्व० राम रूप पाठक निवासी मो० शाहबुद्दीनपुर जौनपुर कि उनके मकान संख्या 125 से 125/5 व 169 से 169/5 पर किये गये कर निर्धारण के विरुद्ध आवेदनकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल मुन्सफ जौनपुर में नियोजित मुकदमा नं० 479/1966	स्वीकार।

निर्णय

प्रस्ताव
(श्री [illegible] नगरपालिका)
से निर्णय के दौरान उपरोक्त
मकानों को गुमटी न मानकर
से मुक्त कर दिया गया है,
जिसके विरुद्ध पालिका
द्वारा अपील सं० 3/1967,
जो जिला जज जौनपुर
के यहां की गयी थी, जो
खारिज भी हो गयी थी एवं
बोर्ड के पूर्व प्रस्ताव सं० 22
दिनांक 22-12-1954 द्वारा
गुमटी मकान की परिभाषा
में नहीं आता एवं कर-
निर्धारण की अपील व राय
अधिवक्ता दिनांक 12-7-90
के सिविल न्यायालय द्वारा
उपरोक्त वाद में आवेदनकर्ता
के पक्ष में पारित निर्णय तथा
बोर्ड के पूर्व प्रस्ताव के आधार
पर उपरोक्त भवनों से -
कार्यभार का निर्धारण -
समाप्त करके उस पर -
वसूली की कार्यवाई समाप्त
करने तथा उसे डिमान्ड रजिस्टर
से खारिज करने का प्रस्ताव
परिषद अनुमोदन हेतु।

13. पालिका प्रकाश विभाग में दिनांक 1.9.90 से 31.10.9 तक (दो माह) के लिये
विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकृत दैनिक वेतन रु 20/- पर रखावे गये मिस्त्री
स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय
का कार्यकाल 1.9.90 से 31.10.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रकाश विभागीय आवश्यक मद आदि शासी- अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद अनुमोदन हेतु।	
14. सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 17.7.90 के प्रस्ताव सं० 17 में स्थगित एवं निर्णीत कि उक्त प्रस्ताव निर्माण समिति के माध्यम से लाया जाय के क्रम में निर्माण समिति के प्रस्ताव सं० 2, बाबत सुखलीपुर में शाहगंज रोड से ईशापुर रोड तक सड़क की पेन्टिंग करने हेतु आये हुये निविदाओं में न्यूनतम निविदा मेसर्स सुभाषकुमार सतीश-कुमार एण्ड ब्रदर्स का रु०32,823.81 (जिसमें तारकोल का मूल्य सम्मिलित नहीं है) जिसका व्यय - शासनादेश सं० 4543A/11-5-85/ (वि०स० अनु०)/86 दिनांक 11.12.86 से वहन किया जायेगा, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
15. सिटी- बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव सं० 14 दिनांक 17.7.90 में लिये गये निर्णय के अनुसार ओलन्दगंज में सिटी- बोर्ड कार्यालय के दक्षिणी गेट के पास पुराने रिक्शा स्टैन्ड-	स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय:
के स्थान पर 12 अदद दुकानों के निर्माण के लिये आये हुये निविदाओं में न्यूनतम निविदा 2,45,308.54 पै० श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ठीकेदार का जो निर्माण समिति के प्रस्ताव सं० 3 दिनांक 12.9.90 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, परिषद अनुमोदन हेतु।	
16 सिटी बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव सं० 15 दिनांक 17.7.90 के निर्णयानुसार सब्जीमंडी स्थित स्टेशन रोड स्टेशन रोड की पटरी पर दुकानों के निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा श्री नागेन्द्रनाथ सिंह, ठीकेदार का रु० 3,51,550.69 पैसे जिस पर निर्माण समिति के प्रस्ताव सं० 4 दिनांक 12.9.90 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
17. सिटी बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव सं० 16 क दिनांक 17.7.90 के अन्तर्गत शासनादेश सं० 2701 A/9-1-89-503 (सा० स० अनु०)/89 दिनांक 6.9.89 से निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्माण समिति के माध्यम से लाये जाने के सम्बन्ध में पालिटेक्निक चौराहे के पास इलाहाबाद रोड से श्री रिपुदमन सिंह के मकान तक सोलिंग व नाली निर्माण हेतु आये हुये निविदाओं	स्वीकार।

16-10-90

निर्णय

प्राप्त न्यूनतम निविदा को दुहेन (?) अंकन में रू० 88,484.57 पैसे, जो निर्माण समिति के प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 12-9-90 में स्वीकृत की जा चुकी है, परिषद अनुमोदन हेतु।

18. नगरीय - बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव सं० 162 दिनांक 17-7-90 के निर्णय प. के अनुसार जोगियापुर में श्री चन्द्रकान्त के मकान के पीछे पाल की गली में नाली निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा श्री. तहसील दार सिंह का रू०14,989.46, जो निर्माण समिति के प्रस्ताव सं० 6 दिनांक 12-9-90 द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार।

19. निर्माण समिति प्रस्ताव सं० 7 दिनांक 12-9-90 द्वारा पारित शासनादेश संख्या 3376 ए/ 9-1-89-503 (वि०स०अनु०)/89 दिनांक 6-9-1989 द्वारा प्राप्त सड़क अनुदान रू० 10,50,000/- से पालिका के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में 57 कार्यों की न्यूनतम निविदाओं के क्रमांक 28 व 37 को छोड़कर शेष निर्माण कार्यों की सूची के कार्य एवं उनके समक्ष अंकित धनराशि परिषद स्वीकृति हेतु एवं क्रम सं० 28 एवं 37 पर अंकित निर्माण — स्वीकार।

16-1

प्रस्ताव	निर्णय
कार्यों के लिये अल्पकालिक निविदा मांगकर शीघ्र कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	
20 निर्माण समिति प्रस्ताव सं० 9 दिनांक 12.9.90 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव मो० लोदकरपुर रोड से शाहगंज रोड को मिलाने वाली गली को चौड़ा करने हेतु जलकल की बाउन्ड्री वाल तोड़कर चौड़ी करने की कार्यवाही परिषद स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।
21 निर्माण समिति प्रस्ताव सं० 11 दिनांक 12.9.90 में पारित प्रस्ताव बावत ताड़तला से दरीपुर होते हुये मोहल्ला मुफ्ती मोहल्ला तक सड़क निर्माण ~~हेतु~~ कराने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
22. निर्माण समिति प्रस्ताव सं० 12 दिनांक 12.9.90 में पारित प्रस्ताव बावत मिर्जापुर में श्री बेचूराम गुप्ता के मकान से श्री बंसराम के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

10-10-90

प्रस्ताव	निर्णय
नगर क्षेत्र जौनपुर स्थित विभिन्न 16 स्थानों के शौचालयों के निर्माण हेतु रुपया 26,00,096.00 का व्यय अनुमान परिषद अनुमोदनार्थ	स्वीकार।

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से -

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 10-10-90 की पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव बावत इन्दिरा मार्केट में ब्लाक 'A' 'B' 'C' के प्रथम तल के निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड के पूर्व प्रस्ताव संख्या क्रमशः 2, 3, 4 दिनांक 9-6-89 में स्वीकृत निविदा कार्य पर अवर अभियन्ता। नगर अभियन्ता की दिनांक 22-9-90 व 4-10-90 की आख्या कि ब्लाक 'A' 'B' 'C' के निर्माण कार्य के लिये, कार्य अधीक्षक, निर्माण निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग जौनपुर के पत्र सं० 1281/आई० सी० बी० दिनांक 4-8-1988 के अनुसार पुरानी छत पर आर०सी०सी० छत डालने एवं अन्य अतिरिक्त कार्य मदें जैसे डाउन पाइप, रेलिंग पाइप आर०सी०सी० बीम, फर्श में शीशा, बाहरी वाल पर रंगाई, सीमेंट प्लास्टर, सामने ईंट की फर्श व छत की टार पेन्टिंग, आदि के लिए पुनरीक्षित आगणन प्रत्येक ब्लाक का 4,16,900.00 परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार।

[signature]
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर

[signature]
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
10-10-90